[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना
सं. 09/2023-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली 31 मार्च, 2023

का.आ. ....(अ)-- सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 235(अ), तारीख 3 अप्रैल, 2020 में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 35/2020-केन्द्रीय कर, तारीख 3 अप्रैल, 2020 और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 310(अ), तारीख 1 मई, 2021 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 14/2021-केन्द्रीय कर, तारीख 1 मई, 2021 तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 516(अ), तारीख 5 जुलाई, 2022 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 13/2022-केन्द्रीय कर, तारीख 5 जुलाई, 2022 के आंशिक संशोधन में, परिषद् की सिफारिशों पर, नीचे विनिर्दिष्ट अवधि से संबंधित, उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन, संदत्त न किए गए या कम संदत्त किए गए कर या गलत प्राप्त या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की वसूली के लिए, आदेश जारी करने की, धारा 73 की उपधारा (10) के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा का विस्तार करती है, अर्थात् :--

(i) वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए, 31 दिसंबर, 2023 तक ;

(ii) वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, 31 मार्च, 2024 तक ;

(iii) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, 30 जून, 2024 तक ।

[फा.सं. सीबीआईसी-20013/1/2023-जीएसटी]

(आलोक कुमार)
निदेशक